राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांकः 30 NOV 2017

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012 को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–ए की उप–धारा (4) के सपठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप–नियम (1) तथा नियम 16 के उप–नियम (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए नियमन एवं आवंटन के मामलों में प्रीमियम की दरें निर्धारित करते हुए अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है। नियम 16 के उप–नियम (4) के अन्तर्गत प्रीमियम दरों को निर्धारित करते हुए दिनांक 31.07.2012 का जारी की गई अधिसूचना दिनांक 17.06.1999 के पूर्व के प्रकरणों के लिए तथा नियम 9 के उप नियम (1) के अन्तर्गत प्रीमियम दरों को निर्धारित करते हुए दिनांक 21.09.2012 को जारी अधिसूचना दिनांक 17.06.99 के बाद के प्रकरणों के लिए है।

राज्य सरकार द्वारा विशिष्ठ रूप से अधिसूचित किये जाने पर उक्त दोनों अधिसूचनाओं से निर्धारित दरों की बजाय विशिष्ट रूप से अधिसूचित दरें लागू होगी।

उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत केवल प्रीमियम दरों का निर्धारण किया गया है, इसमें बाह्य विकास शुल्क तथा अन्य शुल्क निर्धारित नही किये गये है। बाह्य विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधानों एवं इनके अन्तर्गत समय–समय पर जारी राजकीय निर्देशों के अनुसार वसूलनीय है।

इस विभाग के पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.5(2)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 27.09.1999, परिपत्र क्रमांक प.5(8)नविवि/3/99 दिनांक 26.05.2000, परिपत्र क्रमांक प.3(8)नविवि/3/2001 दिनांक 12.07.2001, परिपत्र क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 दिनांक 04.10.2002 में संशोधित करते हुए अब राजकीय भूमि (सिवायचक, अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन के लिये देय दरें निम्नांकित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है:–नगरीय क्षेत्रों में स्थित राजकीय भूमि (सिवायचक, अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन के लिये देय दरें निम्नांकित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है:–

तालिका

क्र.सं.	नगरीय क्षेत्रों के नाम	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें
1	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा व भिवाड़ी	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 2000/– रूपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 6500/– रूपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।
2	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर व भीलवाड़ा को छोड़कर 50,000 से	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1000/– रूपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 3500/– रूपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।